न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 81/2016

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2016/00228

वादीगण बनाम प्रतिवादी

1.सावंलदान पुत्र नाथूदान
2.चन्द्रदान पुत्र नाथूदान
3.हिंगलाजदान पुत्र नाथूदान
4.सायरकंवर पुत्री नाथूदान
5.अन्तरकंवर वेवा नाथूदान
जाति चारण निवासी भांडियावास
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.चन्द्रदान पुत्र राणीदान जाति चारण निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण
2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3.प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक— 16.12.2025

संक्षिप्त मे वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा भांडियावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 91,98,100 भूमि के संवंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 09.09.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का वाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा भांडियावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 91,98,100 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	वरंग
1	कानसिंह पुत्र चन्द्रदान हि. 1/4 कानसिंह पुत्र चन्द्रदान हि. 3/80 गणपतदान पुत्र चन्द्रदान हि. 3/80 दुर्गादान पुत्र चन्द्रदान हि. 3/80 माधुसिंह पुत्र चन्द्रदान हि. 3/80 सायर कंवर पुत्री नाथुराम हि. 1/5 सांवलदान पुत्र नाथुराम हि. 1/5 हिंगलाजदान पुत्र नाथूदान हि. 1/5 जाति चारण सा. देह खातेदार	भांडियावास	91 48 100	1.6269 0.4533 1.2950	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	प्रस्ताव ख के नक्शे मे दर्शितानुसार
2	चन्द्रदान पुत्र राणीदान जाति चारण सा.देह खातेदार रहन–यूको बैंक शाखा बालोतरा	भांडियावास	91 98	1.3273 0.3561	बा.अ. बा.अ.	प्रस्ताव ख के नक्शे मे दर्शितानुसार

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 16/12/2015
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16/12/2015 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

16/12/2015
सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 81/2016

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2016/00228

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.सावंलदान पुत्र नाथूदान 2.चन्द्रदान पुत्र नाथूदान 3.हिंगलाजदान पुत्र नाथूदान 4.सायरकंवर पुत्री नाथूदान 5.अन्तरकंवर बेवा नाथूदान जाति चारण निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.चन्द्रदान पुत्र राणीदान जाति चारण निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :81/2016

निर्णय दिनांक :— 16.12.2025

वादीगण की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री अचलाराम थोरी उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 02 अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 16.12.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 16.12.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 16/12/2025

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया —————	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया —————
जोड़	———	जोड़	———

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा